संख्या -864/कृषि/2001

प्रेषक,

डा0पी0एस0गुसाई,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

अपर कृषि निदेशक,
उत्तरांचल, पौड़ी
कैम्प देहरादून।

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग

देहरादून:दिनांक: 26 फरवरी, 2002

विषय– कृषि विभाग के पुनर्गठन के फलस्वरूप कर्मचारियों का स्थानान्तरण/समायोजन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 2094/कृषि/पुनर्गठन/2001–2002 दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 एवं पत्र संख्या 2130/चार–स्था/पुनर्गठन/2001–2002 दिनांक 02 नवम्बर, 2001 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो कृषि विभाग को पुनर्गठित किये जाने के फलस्वरूप कर्मचारियों का समायोजन विषयक है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग को पुनर्गठित किये जाने के पश्चात श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रकार कार्यवाही किये जाने के आदेश देते हैं:–

(1) परियोजना अधिकारी (कृषि)/उप कृषि निदेशक (प्रसार) एवं जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय, मुख्य कृषि अधिकारी के नाम से जाने जांय।

(2) उप कृषि निदेशक (गढ़वाल/कुमायूँ), उप कृषि निदेशक (भू0सं0) अल्मोड़ा, पौड़ी एवं देहरादून, उप कृषि निदेशक (कृषि रक्षा) गढ़वाल एवं कुमायूँ, उप कृषि निदेशक (सांख्यिकी) हल्द्वानी, सहायक कृषि विपणन अधिकारी, पौड़ी/हल्द्वानी तथाभूमि संरक्षण इकाइ सतपुली/कोटद्वार, विकासनगर/कीर्तिनगर को विभाग के पुनर्गठित किये जाने के फलस्वरूप तात्कालिक प्रभाव से समाप्त माना जाय।

(3) समाप्त किये गये कार्यालयों के कार्मिकों का समायोजन/स्थानान्तरण नवसृजित जनपदों में मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय (बागेश्वर/चम्पावत/रूद्रप्रयाग) में कार्मिकों के द्वारा दी गयी सहमति के आधार पर करते हुये तैनात किया जाय। कार्मिकों द्वारा सहमति की दशा में पूर्ति न होने पर समायोजन निम्न प्रकार किया जाय।

(1) मण्डलीय तथा इकाई कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी जो भूमि संरक्षण योजना एवं अन्य योजनाओं में तैनात हैं, उनको संबंधित शाखाओं जिसमें वे अनुमोदित हैं, के आधार पर निदेशालय/जिला स्तरीय कार्यालयों में स्थानान्तरित कर दिया जाय।

(2) भूमि संरक्षण की इकाई सतपुली/कोटद्वार/विकासनगर/कीर्तिनगर के समाप्त किये जाने के बाद इन इकाईयों में तैनात वर्ग–1, 2,, 3 के अप्रशिक्षित कर्मचरियों को अन्य योजनाओं में समायोजित किया जाय।

(3) वर्तमान कार्यालयों/क्षेत्रीय इकाइयों में कार्यरत स्टाफ को अंतिम आगमन प्रथम वर्हिगमन सिद्धान्त के आधार पर स्थानान्तरित किया जाय।

(4) कार्मिकों का समायोजन यथा उपलब्ध निकटस्थ स्थानों पर ही किया जाय।

(5) ऐच्छिक स्थानान्तरण को तभी वरीयता दी जाय, जब उपरोक्त अपनाई जाने वाली व्यवस्था वाधित न हो।

(6) कृषि विपणन एवं कृषि सांख्यकीय विभाग में सहायक कृषि विपणन अधिकारी के कार्यालय पौड़ी/हल्द्वानी तथा उप निदेशक सांख्यिकी हल्द्वानी में तैनात कार्मियों को आवश्यकतानुसार जनपदों /निदेशालय में तैनात किया जाय।

3– कृषि विभाग को पुनर्गठत किये जाने के पश्चात जो मण्डलीय/जनपद स्तरीय एवं भूमि संरक्षण की इकाईयां, समाप्त हुई हैं, में उपलब्ध मशीन, साज सज्जा तथा लेनदारी एवं देनदारी का समायोजन निदेशालय अपने स्तर से सुनिश्चित करेगा। यदि किसी बिन्दु पर शासन के अभिमत की आवश्यकता हो तो अपन सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।

4– उपरोक्त के अतिरिक्त श्रेणी–I एवं II के जिन अधिकारियों को स्थानान्तरित/समायोजित किया जाना है, का प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाय।

5– कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(डा0पी0एस0गुसाई)
अपर सचिव।